संसाधनों के संरक्षण के लिए नियोजनः पलामू जिला (झारखंड) के परिप्रेक्ष्य में

Sima Kumari*

M.A. (Geography), College of Commerce, Patna, Bihar, India

सारांशः- छोटानागपुर प्रदेश में स्थित पलामू जिला में संसाधनों की बहुलता है। यहाँ झारखंड राज्य का एकमात्र पार्क बेतला नेशनल पार्क है जिसको भारत सरकार ने शेर संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। इस अध्ययन में जिला में विद्यमान संसाधनों के संरक्षण हेतु उसके नियोजन पर बल दिया गया है। जिले में जिन संसाधनों की मात्रा सीमित है या जो क्षयशील है उनका सम्पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से प्रयोग इस शोध कार्य में किया गया है। वन सम्पदा, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन मृदा, जल, वन्यजीव आदि की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए विज्ञान एवं तकनीकी विकास से उनके विकल्पों का पता लगाना इस शोधकार्य का आधार है।

----------♦----------

प्रस्तावनाः-

मानव क विभिन्न उद्देश्यों एवं आवश्यकताओं की पूर्ति अथवा किसी कठिनाई का निवारण करने वाले या निवारण में योगदान देने वाले आश्रय या स्रोत को संसाधन की संज्ञा देते हैं। कोई भी वस्तु या पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है जब उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति तथा कार्य सिद्ध करने अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। इस दृष्टि से स्वयं मानव एक संसाधन है तथा समस्त संसाधनों मे सर्वोपरि है जैसा कि जिम्मरमैन एवं मिचेल महोदय ने लिखा है-मनुष्य का ज्ञान हीं सबसे बड़ा संसाधन है। मनुष्य जहाँ एक ओर संसाधनों का निर्माणकर्ता है वहीं वह उसकी दुरुपयोगकर्ता है। विकास की प्रक्रिया में संसाधनों के अन्धाधुंध उपयोग उसके अस्तित्व को संकट के कगार पर ला खड़ा कर दिया है।

World Resources (1994-95) के अनुसार- "उत्तर के संसाधन उपभोग का प्रतिरूप आज भी पर्यावरण द्वारा दीर्घकाल तक वहनीय नहीं है न तो उसे प्रखंड हेतु न हीं विश्व हेतु मॉडल के रूप में[1] वनों के विनाश से वन क्षेत्र में कमी, वन्य जीवों का संकटमय अस्तित्व, मृदा के पोषकतत्व में कमी, खनिजों के भंडार, जल की गुणवत्ता में कमी आदि गंभीर समस्या का विषय बना हुआ है। यदि वर्तमान की भाँति संसाधन का अन्धाधुंध शोषण एवं असावधानीपूर्वक प्रयोग किया जाता रहा तो शीघ्र हीं मानव की उन्नति एवं मानव जीवन यापनस्तर की सम्पन्नता को बनाये रखना असंभव हो जाएगा। अतः संसाधनों का संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है संरक्षण का अर्थ दीर्घकाल लगातार उत्पादन की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग, उनकी परिरक्षण एवं नवकरणीय संसाधनों के पूर्नरुत्पादन से है अतः प्राकृतिक संसाधनों के इस प्रकार से संरक्षण हेतु नियोजन किया जाना आवश्यक कार्य है।[2]

अध्ययन का उद्देश्यः-

संसाधनों के अधिकाधिक समय तक उपयोग, उसके संरक्षण हेतु निम्न संसाधनों का नियोजन इस शोध कार्य को आधार प्रदान करता है-

- वन सम्पदा सरंक्षण।
- ऊर्जा संसाधन संरक्षण।
- खनिज संसाधन संरक्षण।
- जल संरक्षण।
- मृदा संरक्षण।
- चारागाह संरक्षण।

- वन्यजीव संरक्षण।

वन सम्पदा सरंक्षणः-

वनस्पति एक अमूल्य संसाधन है जिसकी महता को देखते हुए विद्वान इसे हरा सोना, हरा फेफड़ा कहते हैं। वन को तरूदेवो भवः की संज्ञा दी जाती है पिछले तीन-चार शताब्दियों में मानव इसके तीव्र दोहन और मानव समाज की अज्ञानता के कारण वन संपदा का दोहन संकट की अवस्था में पहुँच गया है।

वर्ष 2005-2006 में पलामू जिले के कुल क्षेत्र का 44 प्रतिशत भागों पर वन का विस्तार है जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार मानक स्तर 33 प्रतिशत से ज्यादा है।

जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, सीमित कृषि भूमि के कारण जिले के ग्रामीण निवासियों द्वारा वनों को काटकर कृषि भूमि के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति, पशुचारण, सड़कों व रेलमार्गों के निमार्ण के लिए वनों का विनाश हुआ है।[3]

आज इसके संरक्षण के लिए अनेकों उपाय किए जा रहे हैं जैसे-

- पूर्नवृक्षारोपण एवं वनरोपण।
- वैज्ञानिक विधि से कटाई।
- वन-अग्नि से रक्षा।
- हानिकारक किटाणुओं एवं रोगों से रक्षण।
- वनों में पशुचारण पर नियंत्रण।
- प्रशिक्षित लोगों द्वारा निरिक्षण।
- उपलब्ध वन संसाधन का सदुपयोग।
- सौर ऊर्जा का उपयोग आदि।[4]

सामाजिक वानिकी अभियान, वन शोध और प्रबंधन संस्थाओं की स्थापना आदि वन संरक्षण की दिशा में किए गए महत्वपूर्ण कार्य है।

ऊर्जा संसाधन संरक्षणः-

पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों ने अपने चमत्कारिक गुणों के कारण विश्व की संस्कृति का स्वरूप बदल दिया है पर ऊर्जा की खपत और मांग में लगातार वृद्धि से शक्ति के संसाधनों के दोहन से भी दिनोंदिन अभिवृद्धि होती जा रही है इससे ऊर्जा के प्रधान स्रोतों जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस तथा आण्विक खनिजों का भंडार घटता जा रहा है इसके समाधान के लिए यथासंभव उपाय किए जा रहे हैं जैसे-उत्खनन प्रणाली में सुधार, नवीन क्षेत्रों की खोज, खनन प्रक्रिया के अन्तगत संरक्षण, तकनीकी सुधार के द्वारा ऊर्जा की खपत को कम करना, वैकल्पिक ऊर्जा का विकास आदि।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की समस्या को गोबर गैस, बायोडीजल तथा सौर ऊर्जा आदि से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है पूरे भारत में 14 दिसम्बर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसी संदर्भ में पलामू जिले में भी ऊर्जा संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता लायी जा रही है। स्कूलों एवं कॉलेजों में सेमिनार, संगोष्ठि द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर बल दिया जा रहा है।

खनिज संसाधन संरक्षणः-

पलामू जिले में दो तरह के खनीज मिलते हैं।

(1) वृहत खनिज- जिसमें कोयला, ग्रेफाइट, चूनापत्थर, डोलामाइट आदि।

(2) लघु खनिज- जिसमें बालू पत्थर, मोरम मिट्टी, मार्बल आदि।

यहाँ के खनन विभाग वैज्ञानिक और पर्यावरणीय तरीके से खनिज संसाधनों के सतत विकास के लिए प्रयास करता है।

खनिज संरक्षण के लिए निम्न उपाय किये जाने आवश्यक है-

- नये खनिज क्षेत्रों का पता लगाना।
- खनिजों के खनन-प्रक्रिया के अंतर्गत सरंक्षण।
- उत्खनिज खनिज अयस्कों से अधिकाधिक धातु की प्राप्ति करना।
- खनिजों का बहुउद्देश्यि प्रयोग।
- सुरक्षित भण्डार-गृहों का निर्माण।
- खनिजों के विकल्पों का अन्वेषण।

- धातु का बारम्बार प्रयोग।

उपर्युक्त संदर्भ में सरकार द्वारा 1993 में नयी खनिज नीति को लागू किया गया है।[5]

मृदा संरक्षणः-

मृदा संरक्षण का लक्ष्य मृदा के अपरादित होने से रोकना उसकी उर्वरता तथा अन्य पोषक तत्व तें वृद्धि करना तथा दीर्घकाल तक मृदा की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना है।

पलामू जिला में लाल एवं लेटेराइट मिट्टी पायी जाती है। इस मिट्टी में **0.06** प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा रहती है और चूना की उपलब्धता अधिक होती है। जिले में मृदाक्षरण को रोकने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चलाया गया है। सिर्फ सिंचाई विभाग द्वारा भूक्षरण रोकेने का प्रचार किया जाता है। अतः मृदा संरक्षण हेतु निम्न तकनीक का प्रयोग करना चाहिए।

- वनस्पति का आवरण एवं संरक्षी वनारोपण।
- समोच्च रेखीय जुताई।
- वेदिकाकरण।
- आवरण फसलें।
- स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध।
- पशुचारण पर नियंत्रण।
- अवनालिकाओं में वनस्पति रोपण।
- बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण।
- पंक एवं प्रस्तर प्रवाह रोकने के उपाय।

जल संरक्षणः-

जल संरक्षण के दो प्रकार हैं।

(1) जल का नियंत्रण।

(2) प्रदूषण से रक्षा।

जल नियंत्रण वर्षा का जल को तलाबों, जलाशयों और भूमिगत जल को सुरक्षित रखना और प्रवाह को नियंत्रित करना है।

जल को प्रदूषण से बचाने हेतु नदियों, झीलों आदि में नगरों तथा कारखानों के अपशिष्टों का बहाव रोकना अत्यावश्यक है। गन्दे जल को संयंत्रों से साफ कर नदी में गिराने के कार्यक्रम शुरू हो गये हैं। जैवीय विकास प्रक्रिया द्वारा जल को साफ रखने का प्रयोग भी अब आरंभ किया गया है।

चारागाह सरंक्षणः-

इसमें घासों के गणों विकास कर कम भूमि पर अधिक पशु पाले जा सकते हैं। इसी प्रकार चारागाह अवकाश विधि (Different Grazing) से पशुचारण को नियंत्रित किया जा सकता है।

पशु सम्पदा की सुरक्षा हेतु चारागाह सर्वधन एक मात्र उपाय है।

वन्यजीव संरक्षणः-

पलामू जिले में वन्य जीवन विविधपूर्ण है। यहाँ जलवायु धरातल तथा वनस्पति की विविधताओं के कारण अनेक प्रकार की पशु-पक्षी मिलते हैं। वनों के विनाश और वन्य जीवों का अवैध शिकार आज कई वन्य जीव विलोप के कगार पर खड़े हैं। पलामू टाइगर रिजर्व में 1974 में 50 बाघ थे जो 2005 में 38 बाघ तथा 2008 में घटकर 06 हो गए।

बेतला जंगल एवं अभयारण्य के पशु पक्षियों के अस्तित्व की रक्षा के प्रयास किए गए हैं। भारत सरकार बेतला नेशनल पार्क को शेर संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है जो 1973 में प्रारंभ हुआ था। सिंह, बाघ, हिरण, चीतल, मोर आदि के आखेट पर प्रतिबंध लगाया गया है।

निष्कर्षः-

संसाधन संरक्षण से तात्पर्य संसाधनों के उपयोग के ऐसे कार्यक्रम से है जिससे अधिक से अधिक लोग लम्बी अवधि तक अधिक उत्पादन के साथ लाभान्वित हो सके। प्राकृतिक संसाधनों जैसे वनसम्पदा संरक्षण, ऊर्जा संसाधन संरक्षण, खनिज संसाधन संरक्षण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण, चारागाह वन्यजीव संरक्षण हमारा नैतिक दायित्व है तथा जैव विविधता बनाये रखने हेतु संरक्षण अत्यन्त आवश्यक है। लोगों में जागरूकता एवं ग्रामिणों की सहभागिता के बिना वन्यजीवों के सरंक्षण की बात सोचना भी बेईमानी है। जिले में टाइगर रिजर्व में बाघोंकी संख्या घटकर नहीं के बराबर हो गयी है। यहाँ की मिट्टी अम्लीयता क्षारीयता से मुक्त करना जरूरी है ताकि यहाँ की जनसंख्या कृषि उत्पादन

द्वारा अपना निर्वाह कर सके।

संदर्भ सूची-

1) सिंह जगदीश एवं सिंह काशीनाथ ज्ञानोदय प्रकाशन, पृष्ठ सं. 22, 23

2) कौशिक एस.डी. एवं गौतम अलका, रस्तोगी पब्लिकेशन्स, पृष्ठ सं0 60

3) Haries, H.H. (1925). The Botany of Bihar and Orissa Part-I, pp. 73

4) तिवारी आ.सी. भारत का भूगोल, प्रयाग पुस्तक भवन, पृष्ठ सं. 47

5) संदर्भ 4 पृष्ठ संख्या 381-382

6) Singh Satnam (2007). Resource Geography (New Delhi, Murari Lal and Son) pp. 224.

7) हारून मोहम्मद संसाधन (**2007**) भूगोल, वसुन्धरा प्रकाशन, पृष्ठ सं. 514

Corresponding Author

Sima Kumari*

M.A. (Geography), College of Commerce, Patna, Bihar, India